कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण शेखपुरा।

(जिला जल एंव स्वच्छता समिति शेखपुरा)

पत्रांक :–................./शेखपुरा ,दिनांकः–.........................

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
–सह–अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति शेखपुरा।

प्रेषित,

1. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी, शेखपुरा जिला।
2. सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक, जीविका, शेखपुरा जिला।

विषयः– **CLTS उत्प्रेरक/स्वच्छाग्रही एवं मास्टर ट्रेनर के चयन एवं समुचित उपयोग के संबंध में।**
प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक 104 सी0 दिनांक 08.11.2016 एवं कार्यालय आदेश सं0 BRLPS/LSBA/Estt/06/16/216 Date 08.08.17**

महाशय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि वितीय वर्ष 2017–18 में जिले के 40 अदद पंचायत को खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसी उदेश्य के तहत जिले के सभी प्रखंडों के ग्राम पंचायतों में CLTS उत्प्रेरक/स्वच्छाग्रही का चयन कर उनका पैनल तैयार कर लिया जाना है ताकि उत्प्रेरको द्वारा व्यापक प्रचार –प्रसार तथा ज़ागरूकता फैला कर शौचालय विहीन परिवारों का व्यवहार परिवर्तन करते हुये सुरक्षित शौचालय का निर्माण कराना सुनिश्चित कराया जा सके।

उत्प्रेरक/स्वच्छाग्रही एवं मास्टर ट्रेनर की भुमिका निम्नवत होगीः–

- ट्रीगरिंग गतिविधियों का आयोजन करना और समुदाय द्वारा खुले में शौच से मुक्ति की तिथि वार्डवार/गॉववार निर्धारण करवाना। जनसमुदाय को खुले में शौच करने से होने वाली दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देना/प्रेरित करना।
- खुले में शौच से मुक्ति (ओ0डी0ई0पी0) की कार्य योजना बनाने में प्रखंड समन्वयकों को मदद करना।
- वार्ड वार शौचालय युक्त एवं शौचालय विहीन एवं भूमिहीन परिवारों का विस्तृत सर्वेक्षण करना।
- प्रभावकारी निगरानी समिति का गठन करना (महिलाओ,पुरूषो,एवं बच्चो का ट्रीगरिंग के दौरान) निगरानी समितियो में जीविका के ग्रामसंगठन के दीदियों/सदस्यों को भी जोड्ना उनके द्वारा प्रस्तावित बैठक में भाग लेना। भी0ओ0 के साथ मिटिंग करना वार रूम का गठन।
- राजमिस्त्री की पहचान एवं उन्हें प्रशिक्षित कर जनसमुदाय के बीच प्रचारित करना।
- अहले सुबह एवं शाम में गहन निगरानी को सुनिश्चित कराना, रोको टोको अभियान चलाना।
- सभी घरो का भ्रमण करना एवं शौचालय का उपयोग सुनिश्चित करवाना।
- समुदाय के साथ शौचालय निर्माण पर तकनीकी चर्चा।

- ➢ शौचालय विहीन परिवारों का बेसलाइन सर्वे अघतीकरन करना।
- ➢ प्रशिक्षण का आयोजन।
- ➢ शौचालय निर्माण कार्य में समुदाय को तकनीकी सहयोग करना एवं उनकी समस्याओ का समाधान ग्राम पंचायत से मिलकर करना।
- ➢ अन्य कार्य जो प्रखंड/जिला स्तर से दिया जायेगा।

चयन अर्हत्ता/योग्यताः–पद का नाम उत्प्रेरक/स्वच्छाग्रही एवं मास्टर ट्रेनर

(1) शैक्षणिक योग्यताः– मैट्रिक पास (10+2 मास्टर ट्रेनर हेतु)।

(2) उम्र कम से कम 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।

(3) आवेदक सरकारी कर्मी न हो ।

(4) ऍनड्रायॅड मोबाईल फोन हो।

(5) वार्तालाप मे कुशल हो एवं मल से घृणा नही करते हो।

(6) शेखपुरा जिले के स्थायी निवासी हो तथा जिले के किसी भी पंचायत मे कार्य कर सकते हो।

(7) स्वच्छता /सी0एल0टी0एस0/प्रचार –प्रसार/जागरूकता के क्षेत्र में कार्य अनुभव/प्रशिक्षण प्राप्त हो आदि। नोटः–(क) मास्टर ट्रेनर हेतु 25 अंक का वस्तुनिष्ट परीक्षा का आयोजन अलग से किया जायेगा। (ख) आवेदक संलग्न प्रपत्र में आवेदन प्रखंड कार्यालय/जीविका कार्यालय/जिला ग्रामीण विकास विभाग अभिकरण शेखपुरा के बॉक्स में दिनांक 06.09.17 से लेकर दिनांक 12.09.17 तक कार्यालय अवधि में जमा कर सकते है।

➢ चयन पकियाः–

(i) Public Speaking Ability

(ii) Interview

1- Expression/Attitude-	2.5 Marks
2- Knowledge of subject-	2.5 Marks
3- Knowledge about Computer and android phone-	2.5 Marks
4- Leadership quality and Team working Capacity-	2.5 Marks
(iii) Written Test for (Master Trainer)	25 Marks

चयन समितिः–

चयन प्रकियाा का निष्पादन जिला स्तर पर निम्नलिखित 06 (छः) पदाधिकारियों के संयुक्त पैनल के माध्यम से किया जायेगा।

जिला स्तरीय चयन समिति के सदस्य निम्वत होगें:–

1. निदेशक (लेखा) एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा।
2. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, शेखपुरा ।
3. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,शेखपुरा।
4. जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, शेखपुरा।
5. जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका, शेखपुरा।
6. जिला स्वच्छ भारत प्रेरक, शेखपुरा।

➢ जिला स्तरीय समिति के द्वारा पैनल तैयार करते हुए प्रत्येक पंचायत में आवश्यकतानुसार दो पुरूष एवं दो महिला का चयन कर संबंधित बी0पी0एम0यु0/जीविका को सूचित किया जायेगा।

➢ चयन के पश्चात उत्प्रेरकों को अधिकतम 3–5 माह तक के लिए पंचायत को खुले में शौच से मुक्त की स्थिति बनाने हेतु रखा जायेगा।

➢ आवश्यकतानुसार संबंधित प्रखंड के चयनित पंचायत के उत्प्रेरक के पैनल से उत्प्रेरक से भविष्य में कार्य लिया जायेगा।

➢ पंचायतों में उत्प्रेरकों को आवासित होकर कार्य करना होगा।

➢ किसी भी विवाद की स्थिति में जिला जल एवं स्वच्छता समिति, शेखपुरा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

➢ उक्त पद अस्थाई है तथा अल्पकालीन है एवं भविष्य में आवश्यकतानुसार ही कार्य लिया जायेगा।

➢ राशि का भुगतान उनके द्वारा कृत कार्य परिणाम के समीक्षोपरांत ही किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0

जिला पदाधिकारी
–सह–अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति शेखपुरा।

ज्ञापांक:–121/शेखपुरा, दिनांक:–7/9/17

प्रतिलिपि:– सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला सूचना पदाधिकारी,राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,शेखपुरा को निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र को जिले के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनश्चित करेगें।

जिला पदाधिकारी
–सह–अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति शेखपुरा।

CLTS उत्प्रेरक/स्वच्छाग्रही एवं मास्टर ट्रेनर हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नामः–...

आवेदित प्रखंड का नाम....................................../ आवेदित पंचायत का नाम.................................
/

1. आवेदक का नाम...

2. आवेदक के पिता/पति का नाम..

3. आवेदक का स्थाई पता...

....

....

Passport Size

Colour Phots

4. आवेदक का मोबाईल नं0..

5. आवेदक का ई0मेल0 ....

6. आधार कार्ड नं0...

7. शैक्षणिक योग्यता

क्र0	योग्यता	बोर्ड/युनिर्वसिटी	कुल पूर्णाक	कुल प्राप्तांक	वर्ष	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	मैट्रिक					
2	इन्टरमिडियट					
3	स्नातक					
4	अन्य					

8. कार्य अनुभव

क्र0	संस्था का नाम	वर्ष	मानदेय/वेतन	अभियुक्ति
1				

9. कम्प्यूटर संबंधि विषय की जानकारी (हाँ/नहीं)

MS Word	MS Excel	PPT	INTERNET

10. ऐन्ड्रायड फोन है या नहीं। हैं/नहीं √ करें।

11. अपना दो पहिया वाहन है या नही। हैं/नहीं √ करें।

मै घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई जानकारी सत्य है तथा किसी भी समय गलत पाये जाने पर मेरे उपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है एवं मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता हैं।

स्थान................................../

दिनांक................................../

आवेदक का हस्ताक्षर